

भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2828  
दिनांक 12 दिसंबर, 2024

ऊर्जा सुरक्षा कोष

†2828. श्री देवसिंह चौहान :  
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा कोष स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल के प्रमुख उद्देश्य और समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार द्वारा देश में विशेषकर बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) वर्ष 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी में वृद्धि का लक्ष्य क्या है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या योजना है?

उत्तर  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री सुरेश गोपी)

(क): जी नहीं, सरकार के पास फिलहाल ऊर्जा सुरक्षा कोष स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख): पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, परिवहन आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे के विकास, बढ़ती आय, बेहतर जीवन स्तर, आधुनिक ऊर्जा तक बढ़ती पहुंच के साथ-साथ निजी खपत और सकल स्थिर पूंजी निर्माण आदि में वृद्धि के माध्यम से संघारणीय आर्थिक वृद्धि के कारण भारत की ऊर्जा खपत लगातार बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप कूड ऑयल का आयात बढ़ रहा है।

सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए देश भर में ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन, एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस और जैव डीजल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण, रिफाइनरी प्रक्रिया में

सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना, विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल हैं।

इसके साथ ही, सरकार घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014।
- ii. खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति, 2015।
- iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016।
- iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017।
- v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017।
- vi. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017।
- vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिन में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।
- viii. पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससी के विस्तार के लिए नीति ढांचा।
- ix. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018।
- x. मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति ढांचा।
- xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020।
- xii. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के तहत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण-I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं।
- xiii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को छोड़ना जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।
- xiv. सरकार भूमि और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा को अधिग्रहित कर रही है और स्ट्रेटीग्राफिक कूपों की ड्रिलिंग को समर्थन दे रही है ताकि बोलीदाताओं को भारतीय तलछटी बेसिनों का गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से आगे भूमि पर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

(ग) सरकार ने वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की संस्थापना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (परिवहन)/पाइपड प्राकृतिक गैस (घरेलू) सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) को घरेलू गैस का आवंटन, उच्च दबाव/उच्च तापमान वाले क्षेत्रों, गहरे पानी और अति-गहरे पानी और कोयला सीमों से उत्पादित गैस के लिए अधिकतम मूल्य के साथ विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता की अनुमति देना, जैव-सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड (एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड) बनाने और देश भर में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने देश भर में लगभग 33,475 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को प्राधिकृत किया है, जिसमें से स्पर लाइन, टाई-इन कनेक्टिविटी, सब-ट्रान्समिशन पाइपलाइन (एसटीपीएल) और समर्पित पाइपलाइनों सहित 24,945 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पहले से ही चालू हैं और कुल 10,805 किलोमीटर पाइपलाइनें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

\*\*\*\*